राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–3860/2010

कान्ह सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजिडेंसी एरिया, जयपुर।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजिडेंसी एरिया, जयपुर
4. प्रधानाचार्य, बी.आर. अम्बेडकर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डोर जोधपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर बी.आर. अम्बेडकर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डोर जोधपुर में कार्यरत था। छात्रावास में पीवीसी के दरवाजे लगे हुए थे, जिनके खराब हो जाने के कारण उनके स्थान पर लोहे के दरवाजे लगवाये गये थे। छात्रावास में लगे पीवीसी के खराब दरवाजे टुकडों के रूप में थे, जिन्हें ठेकेदार द्वारा छात्रावास में ही छोड़ दिया गया, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। क्रय समिति की बैठक दिनांक 13.07.2007 को आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि छात्रावास में कचरे के रूप में पड़े अनुपयोगी पीवीसी के दरवाजों को छात्रावास से बाहर फिकवा दिया जावे। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 04.03.2010 के द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाये गये 48 दरवाजों की अनुमानित राशि 96000/– रूपये की राशि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक से वसूल करने के आदेश पारित किये गये थे।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध गलत रूप से वसूली का आदेश पारित किया गया था। छात्रावास में पीवीसी के जो दरवाजे लगे हुए थे, वे पूर्ण रूप से खराब हो चुके थे, जिनके स्थान पर लोहे के दरवाजे लगवाये गये थे तथा पीवीसी के खराब दरवाजे किसी भी काम के नहीं थे। जिस कारण से उन्हें छात्रावास से बाहर फिकवा दिया गया था। भौतिक सत्यापन में उक्त दरवाजे कम बताये गये, जिनके सम्बन्ध में अपीलार्थी से वसूली किया जाना उचित नहीं था।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी कान्ह सिंह डॉ० भीमराव अम्बेडकर 13 राजकीय आवासीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय, मण्डौर, जोधपुर में प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के दौरान छात्रावास के लेटरीन, बाथरूम में लगे हुए पीवीसी के दरवाजों को हटाकर लोहे के दरवाजे लगाये गये थे। लेटरीन, बाथरूम से हटाये गये पीवीसी के गेट दरवाजे की अपीलार्थी को सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों (GA & FR) के अनुसार पीवीसी दरवाजे व अन्य सामानों की नियमानुसार नीलामी करने की कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा की जानी चाहिए थी, जो कि अपीलार्थी के द्वारा नही की गई। जिस कारण पीवीसी के दरवाजे व अन्य सामान बेकार हो गया, अगर समय पर इनकी नीलामी की जाती तो राज्य सरकार को राजस्व की आय होती। राज्य सरकार को अपीलार्थी के कृत्य से जो हानि हुई, उसकी नियमानुसार 96,000/– रूपये बकाया निकाली गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है, क्योंकि अपीलार्थी की लापरवाही व उदासीनता के कारण ही राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5. उक्त प्रकरण के तथ्यों से प्रकट होता है कि जो पीवीसी के दरवाजे पूर्व में लगे हुए थे, उनके खराब हो जाने के कारण ही उनके स्थान पर लोहे के दरवाजे लगवाये गये थे। ऐसे में स्पष्ट है कि पीवीसी के दरवाजे खराब हो जाने के कारण वे किसी उपयोग के नहीं थे। छात्रावास के रिकॉर्ड के अनुसार उन अनुपयोगी दरवाजों को छात्रावास से बाहर फिकवा दिये जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही किये जाने से पुर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी से वसूली किये जाने की कार्यवाही अनुचित है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2010 (अनुलग्नक–5) तथा आदेश दिनांक 15.03.2010 (जो कि गलत रूप से 15.03.2009 अंकित है) अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से दरवाजों के सम्बन्ध में अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)